(50)

मो0 सोहैल, भा.प्र.से. जिलाधिकारी,मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक–21/04/16 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में समाहरणालय, सभा कक्ष, मधेपुरा में ''सिविल सर्विस दिवस'' मनाने हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी,मधेपुरा द्वारा सभी उपस्थिति पदाधिकारियों का ''सिविल सर्विस दिवस'' के उपलक्ष्य में स्वागत किया गया तथा स्वागत सम्बोधन में सिविल सर्वेन्ट के सेवा देने के तौर तरीकों यथा– न्याय के साथ समानता (Equity with Justice), उत्साह के साथ कार्य (Work with Zeal) आदि पर प्रकाश डालते हुए सिविल सेवक के कार्यो के मुख्य कमी ''समयबद्ध सेवा नहीं दे पाना'' का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि विधायिका को नये कानून बनाने की आवश्यकता मुख्य रूप से हमारी कमियों,कार्य के तौर तरीकों में उत्साह की कमी आदि के कारण होती है। यथा– ''लोक सेवा का अधिकार'' कानून समय पर जनता को सेवा न मिल पाने के परिपेक्ष्य में बनाया गया तो जनता की शिकायतों,समस्याओं का समय पर निबटारा नहीं किये जाने के फलस्वरूप विधायिका/सरकार को ''शिकायत निवारण कानून'' लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी कम में जिलाधिकारी द्वारा अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में आगामी चुनौती के रूप में ''सात निश्चय'' के सभी सात बिन्दुओं पर लेते हुए उमंग उत्साह के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। तत्पश्चात् सभा के अध्यक्ष –सह– जिलाधिकारी द्वारा सभी वरीय पदाधिकारियों को''सिविल सर्विस दिवस'' के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया।

(1) **कार्यपालक अभियंता,विद्युत प्रमंडल,मधेपुरा–** उनके द्वारा जिला में विद्युत सुधार के निमित्त किये जा रहे उपायों में सहयोग के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि मुख्य मंत्री द्वारा ''सभी के लिए विद्युत'' के घोषणा के बाद सरकार के स्तर से मीटर/पाईप/तार आदि मुफ्त में दिया जा रहा है तथा विद्युत कनेक्शन मुफ्त में किया जा रहा है,जिस कारण एक बार आवेदन करने के बाद भी लालच में अथवा विलंब की स्थिति में उपभोक्ता पुनः कनेक्टिीविटी के लिए आवेदन देते हैं,जिस कारण उन्हें विद्युत विभाग से दो–दो बिल प्राप्त होता है। जाँचोपरांत तत्काल इस समस्या का निराकरण किया जा रहा है। उनके द्वारा इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु जिला प्रशासन से हाउस होल्ड की पहचान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा आर्थिक समाजिक जनगणना/आंगनबाडी द्वारा पोषक क्षेत्रों में परिवारों की निर्धारित संख्याँ/ बी0पी0एल0,ए0पी0एल0 की संख्याँ तथा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा शौचालय हेतु किये गये सर्वे से प्राप्त House Hold की समीक्षा कर PHED से House Hold की सूची प्राप्त कर तत्काल समस्या के निराकरण का निर्देश दिया गया।

(2) **श्री मनोज पवन,कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद,मधेपुरा–** के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में किये जा रहे तीन कार्यो का जिक्र किया गया–

.सभी घरों तक पक्की सड़क।
.सभी घरों में नाली उपलब्ध कराना।
.सभी घरों को शौचालय से सम्बद्ध करना।

उक्त के संदर्भ में इनके द्वारा नगर परिषद के क्षेत्र की प्रमुख समस्या Sewage एवं Drainage System का उल्लेख किया गया। इस कार्य में जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र की प्रमुख समस्या में Sewage एवं Drainage System का उल्लेख किया गया। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा उन्हें प्राकृतिक ढाल के अनुरूप Sewage बनाने तथा नदी के बहाव को Drainage के रूप में (किन्तु नदी में नाले को सम्बद्ध करने से पूर्व कचड़ा की सफाई सुनिश्चित करने) लेने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस कार्य में नगर परिषद तथा नगर पंचायत, जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

(3) **श्री सुनील कुमार,जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,मधेपुरा–** उनके द्वारा बताया गया कि आज के ही दिन सरदार बल्लभ भाई पटेल के द्वारा सिविल सेवा दिवस मनाने की परंपरा की शुरूआत की गई थी। इसके साथ ही उन्होने सिविल सेवकों के द्वारा ''प्रधानमंत्री जन–धन योजना'', स्वच्छ भारत अभियान आदि को सफल बनाने हेतु सराहना की।

(4) **श्री समरेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी,मधेपुरा–** उनके द्वारा बताया गया कि सभी सरकारी योजना का कियान्वयन नियमानुसार किया जाएगा।

(5) **श्री कृष्णमोहन प्रसाद, वरीय उप समाहर्त्ता,मधेपुरा–** इनके द्वारा एक सिविल सेवक के रूप में सभी चुनौतियों से निपटने में सदा तत्पर रहने को सेवा का मुख्य उद्देश्य बताया गया।

(6) **श्री मुकेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता,मधेपुरा–** इन्होने सिविल सेवकों से पारम्परिक तौर तरीकों के अतिरिक्त प्रबंधक की तरह कार्य करने का सुझाव दिया।

(7) **श्रीमति राखी कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,मधेपुरा–** इन्होने आंगनबाड़ी क्षेत्र में पोषाहार के वितरण को सबसे बड़ी चुनौती बताया। जिस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा टी0एच0आर0 के दिन जॉच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से किसी एक पोषक क्षेत्र के पॉच परिवारों से प्राप्त पोषाहार से सम्बंधित जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया।

(8) **उप समाहर्त्ता,भूमि सुधार मधेपुरा–** अपने क्षेत्र में भू– विवाद एवं भू– सुधार को मुख्य चुनौती बताते हुए उल्लेख किया गया कि अधिनियम एवं नियमावली के तहत् कार्य करने से इन समस्याओं का निराकरण कठिन हो जाता है। इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि भू– विवाद की समस्या के निराकरण हेतु एक सलाहकार मंडल का होना आवश्यक है,जिसके लिए सेवा निवृत वरीय समाहर्त्ताओं/अपर समाहर्त्ताओं की सेवा लेने पर विचार करने का सुझाव दिया।साथ ही समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान में रख कर सिविल सेवकों को कार्य करने का अनुरोध किया।

(9) **श्री कयूम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी,मधेपुरा–** इनके द्वारा बताया गया कि आज हमलोग ग्यारवॉं सिविल सर्विस दिवस मना रहे हैं। इनहौने सिविल सेवकों के पास एकाधिक कार्य होने के फलस्वरूप पर्यवेक्षण की कमी को भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बताया। साथ ही अनुरोध किया कि यदि कार्य के साथ ही समय पर प्रोन्नति मिलती है तो कार्य में उमंग/उत्साह बरकरार रहता है।

(10) **श्री राजेश रौशन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा-** इनके द्वारा सिविल सेवा की विशेषताओं यथा- कार्य विविधता,उससे उत्पन्न जिज्ञासा तथा मिलनेवाली संतुष्टि का उल्लेख किया गया।

(11) **श्री मिथिलेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मधेपुरा-** इनके द्वारा सभी सिविल सेवकों को इस दिवस की शुभकामना देते हुए अनुरोध किया गया कि नागरिक सेवा में कार्य तो नियमानुसार ही करने होते हैं किन्तु कार्य के दौरान नागरिक के साथ व्यवहार हमेश मृदु रखें। उन्होंने कहा कि अनेक समस्याओं के बीच भी हमलोग मात्र औजार की तरह कार्य करते हैं। कोई नियम नहीं बनाते किन्तु नियम /नीतियाँ यदि व्यवहारिक हो तो कार्य करन सहज होता है।

(12) **श्री अबरार अहमद कमर, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा-** सभी सिविल सेवकों को सिविल सर्विस दिवस की शुभकामना देते हुए इनके द्वारा निम्नांकित योजनाओं में अच्छा कार्य करनेवाले सिविल सेवकों को पुरस्कृत करने का अनुरोध किया गया-

(1) प्रधान मंत्री जनधन योजना
(2) स्वच्छ भारत ग्रामीण
(3) स्वच्छ विद्यालय
(4) मृदा स्वास्थ्य कार्ड
(5) अन्य योजनाओं में सराहनीय कार्य।

तत्पश्चात उन्होने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत में Collector का मुख्य कार्य राजस्व वसूली था। वे जमींदारों के सहयोग से राजस्व वसूली करा कर ब्रिटिश सामाज्य को भेजते थे। बाद में Commissioner तथा Dy. Collector का पद सृजित किया गया,जो Collector को कमशः Control तथा Assist कर सके। Dy.Collector दो प्रकार के होते थे- अंग्रेज Dy.Collector (अधिक सुविधा सम्पन्न) तथा Indian Dy. Collector (अपेक्षाकृत कम सुविधा सम्पन्न) आजादी के बाद लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बाद स्थिति काफी बदल गयी है। उन्होने बताया कि पहले विभागों की संख्याँ राज्य में बहुत कम थी। नगरपालिका तथा जिला परिषद के माध्यम से अनेक स्थानीय लोक कल्याणकारी कार्यो का संचालन किया जाता था। नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभागों का गठन होता गया। वर्तमान में यदि राज्य सरकार के 20 सूत्री कार्यकम,अल्प संख्यकों के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यकम तथा माननीय मुख्य मंत्री के सात निश्चय का कार्यान्वयन सिविल सेवा के पदाधिकारी लगन, परिश्रम तथा मुस्तैदी से करा दे तो बिहार राज्य का देश में अग्रणी स्थान होगा। आवश्यकता है सिविल सेवा के पदाधिकारियों का मनोबल उँचा रहे तथा उनको उनके कार्यो के अनुरूप समय पर प्रोन्नति मिले तथा सराहनीय कार्यो के लिए उन्हें समय समय पर पुरस्कृत किया जाय।

अंत में पुनः सभा के अध्यक्ष -सह- जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने समापन सम्बोधन में सिविल सेवा को "Steel Frame Of India" -स्टील की तरह जंग नहीं लगनेवाला अर्थात सदा नये उमंग उत्साह के साथ कार्य करने तथा स्टील की तरह कड़ा अर्थात दबाब में नहीं झुकनेवाला बताया गया। सभी लोक सेवकों से दबाब में नहीं झुककर अपने समक्ष आये सभी चुनौतियों को नये उमंग एवं उत्साह से निबटाने का अनुरोध किया गया। उन्होने सिविल सेवकों से लोगों की मदद एवं सेवा करने का आह्वान किया तथा इस हेतु NCERT की पुस्तकों की